

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

मध्यप्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/2020/ 2325


भोपाल, दिनांक 9 /12/2020

—: आदेश :—

विभागीय उम्मीदवार के रूप में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एण्ड सर्जन (सी.पी.एस.) मुंबई के माध्यम से चयनित चिकित्सकों द्वारा स्नातकोत्तर अध्ययन पूर्ण करने के उपरांत संचालनालय में उपस्थित पश्चात् संचालनालय के आदेश क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/2020/1674 दिनांक 22.09.2020 द्वारा चिकित्सकों को उनकी योग्यता अनुसार नवीन पदस्थापना आबंटन कर पदस्थापना आदेश जारी किये गये थे किन्तु कई चिकित्सकों द्वारा पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर आज दिनांक तक आबंटित पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

समस्त चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि संचालनालय के आदेश क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/2020/1674 दिनांक 22.09.2020 द्वारा की गई पदस्थापना स्थल पर 07 दिवस में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित चिकित्सकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं बंधपत्र निष्फल माना जाकर बंधपत्र राशि वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

“आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा आदेशित”

  
(सपना एम.लोवंशी)


अपर संचालक (विज्ञप्त)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/2020/ 2326

भोपाल, दिनांक 9 /12/2020

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
02. सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
02. आयुक्त स्वास्थ्य/ संचालक प्रशासन संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
03. अपर संचालक (कार्यालय स्थापना) स्थानीय कार्यालय।
04. अपर संचालक (वित्त), स्थानीय कार्यालय, भोपाल, म0प्र0।
05. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0।
06. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
07. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
08. उप संचालक (कार्यालय स्थापना), स्थानीय कार्यालय।
09. उप संचालक (मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल म.प्र.।
10. प्रशासकीय अधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय,।
11. समस्त जिला कोषालय अधिकारी म.प्र.।
12. संबंधित चिकित्सा अधिकारियों की तत्काल पालनार्थ म0प्र0।
13. प्रभारी एम0आई0एस0, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

  
(अपर संचालक (विज्ञप्त))

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
म.प्र.